न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 67/2018
एयू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए0यू0 फाईनेन्सर्स(इंडिया) लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 राजस्थान ...प्रार्थी

बनाम

श्री राजेश कुमार सैनी पुत्र श्री नारायण लाल सैनी निवासी 121, ढाणी बिजोरी वाली, भाण्डारेज तहसील व जिला दौसा वगैरह ...अप्रार्थी

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण
और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002

उपस्थित :1. श्री संदीप चौहान अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एयू.स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड जयपुर ने अप्रार्थी श्री हितेंद्र कुमार शर्मा वगै0 को 8,00,000/– (रुपये आठ लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्राथी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी।उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2000 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण का निस्तारण करना उचित समझते हुए गुणावगुण पर प्रार्थी बैक द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नही करने पर The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2000 की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति पट्टा नं0 56, मिसल नं0 42/79–80, ग्राम भाण्डारेज, ढाणी बिजोरी वाली, ग्राम पंचायत भाण्डारेज, पंचायत समिति दौसा क्षेत्रफल 806 वर्गफीट है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसले शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक: 06 जून, 2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा